रूपी वि/s नन्दलाल

**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**

अपील 04/2019 (2019/00322)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिए नोटिस तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,6,9,10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4,5 व 7,8 द्वारा अपील मेमो के समर्थन में जवाब प्रस्तुत कर ग्रा. प. घोसुण्डी द्वारा निर्मित नामांतरण संख्या 677 दिनांक 05/09/2009 को निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर गहनता से मनन किया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो का रेस्पोडेन्ट्स द्वारा समर्थन किया जाकर रतनी व श्यामु के नाम खोला गया नामान्तरण निरस्त किए जाने बाबत निवेदन किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की ~~[illegible]~~ जाकर नामान्तरण संख्या 677 दिनांक 05/9/2009 ग्राम पंचायत घोसुण्डी निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बस्सी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षकारान को सूचित कर नियमानुसार सुनवाई एवं मृतक प्रताप के वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बस्सी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~[illegible]~~ नम्बर से कम हो।

ता. डी.
377
29-8-23

(हस्ताक्षर)

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़